



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक- 433/34व्यक-सा0/2023

दिनांक:- 29/03/2023

सेवा में,

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1- | समस्त मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय/रा0मा0/ए0डी0बी0,
लोक निर्माण विभाग,
..... | 2- | समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
.....
लोक निर्माण विभाग,
..... |
| 3- | समस्त अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/रा0मा0/वि0/यां0/
ए0डी0बी0, लोक निर्माण विभाग,
..... | | |

विषय:- स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2023 हेतु ऑन लाईन डाटा की सूचना एकत्रित करने एवं नोडल अधिकारी नामित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र संख्या-231/34व्यक-स्थाना0-सा0/2022 दिनांक 14.02.2023, पत्र सं0-298/34व्यक-स्था0-सा0/20 दिनांक 25.02.2023 एवं पत्र सं0-314/34व्यक-स्था0-सा0/2023 दिनांक 28.02.2023

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा HRM पोर्टल पर समस्त कार्मिकों का डाटा एन्ट्री करने के आदेश जारी किये गये थे परन्तु कतिपय कार्यालयों द्वारा आतिथि तक भी अपने अधीनस्थ कार्मिकों का डाटा HRM पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है, अथवा त्रुटिपूर्ण भरा गया है। चूंकि पूर्व में ही प्रत्येक कार्यालयों से 01 कार्मिक को डाटा एन्ट्री सत्यापन तथा लॉक करने हेतु नामित किया गया है, जिनके द्वारा ही वर्तमान में भी की गई डाटा एन्ट्री को लॉक किया जायेगा।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आपके कार्यालय में कार्यरत समस्त श्रेणी (क/ख/ग) का सम्पूर्ण डाटा HRM पोर्टल पर एन्ट्री करते हुए की गई डाटा एन्ट्री को प्रत्येक दशा में दिनांक 30.03.2023 तक लॉक करना सुनिश्चित करेंगे तथा डाटा लॉक कर दिया गया है, का प्रमाण पत्र कार्यालयाध्यक्षों के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, जिन कार्यालयों द्वारा HRM पोर्टल पर डाटा लॉक नहीं किया जायेगा, के सम्बन्ध में पूर्व से अपलोड की गयी सूचना को ही सही मानते हुए अग्रिम कार्यवाही कर ली जायेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष की होगी।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)
29/03/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ।
- 2- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
- 3- अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को इस पत्र की प्रति विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित है।
- 4- श्री विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित पत्रों दिनांक 25.02.2023 एवं पत्र दिनांक 28.02.2023 के अनुसार आपको आवंटित कार्यालयों से दूरभाष से सम्पर्क स्थापित कर उक्तानुसार HRM पर की गयी डाटा एन्ट्री को दिनांक 30.03.2023 तक लॉक करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय के नामित अधिकारी से सम्पर्क कर डाटा लॉक कर दिया गया, का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)